

## मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना (राज्य पोषित)

योजनान्तर्गत निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिला/किशोरी हेतु आवश्यकता एवं मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में रू0 1,000/— की छात्रवृत्ति एवं प्रशिक्षणोपरान्त रू0 50,000/— तक सीड अनुदान प्रदान किये जाने का प्राविधान है।